प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

.....

दाण्डिक अपील क्र. 1411/1997

शिवनारायण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

17-02-2012 को सूचीबद्ध किया जाए

सही/-

(राधे श्याम शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

.....

दाण्डिक अपील क्र. 1411/1997

अपीलार्थी शिवनारायण, पिता बुधराम, उम्र लगभग $18_{1/2}$ वर्ष, जाति बहेलिया, व्यवसाय किसान, निवासी- गाँव महोरा, पड़ालीपारा , पुलिस चौकी लूंद्रा, पुलिस थाना-धौरपुर, जिला- सरगुजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

.....

उपस्थित:

श्री राकेश ठाकुर अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री एम.पी.एस.भाटिया, उप शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य/प्रत्यर्थी।

.....

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(17 फ़रवरी, 2012 को उद्घोषित)

यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 350/1996 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-07-1997 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्त/अपीलार्थी शिवनारायण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में, उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है:

दिनांक 27-07-1995 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, अभियोक्त्री (अ.सा.-6) (भारतीय दंड संहिता की धारा 228-अ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह, (2004) 1 एससीसी 421, भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2004 क्रि.एल.जे. 1 (एससी) एवं कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टराजा, (2004) 1 एससीसी 475** में दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है) अपनी भैंसों को सेमरदांड़ के समीप

चराने ले गई थी। उसकी चचेरी भाभियाँ पनपतिया (अ.सा.-7) और कलकतिया मूँगफली के एक खेत में कार्य कर रही थीं। अपीलार्थी ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया, उसे भूमि पर गिरा दिया, उसका पेटीकोट ऊपर उठाया और उसकी योनि में अपना लिंग प्रवेश कर बलात्संग कारित किया। अभियोक्त्री (अ.सा.-6) चीखी। उसकी चीख सुनकर उसकी दोनों भाभियाँ, पनपतिया (अ.सा.-7) और कलकतिया, दौड़ती हुई वहाँ पहुँचीं। उन्होंने अपीलार्थी को अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के साथ बलात्कार करते हुए देखा। उन्हें देखकर अपीलार्थी वहाँ से फरार हो गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने घटना का विवरण अपनी माता को सुनाया। अभियोक्त्री द्वारा पुलिस चौकी लुंड्रा में प्रदर्श पी-8 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रदर्श पी-8 के आधार पर, थाना धौरपुर में नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8अ) पंजीकृत की गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-6) को प्रदर्श पी-5अ के माध्यम से जिला अस्पताल, अंबिकापुर में चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. श्रीमती एस.पी. जायसवाल (अ.सा.-3) ने उसका परीक्षण किया और प्रदर्श पी-5 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रदर्श पी-5 में उन्होंने पाया कि 'हाइमन' दो स्थानों से फटा हुआ था और संभोग पिछले 2-3 दिनों के भीतर किया गया था। अपीलार्थी को भी प्रदर्श पी-7 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अग्रिम अन्वेषण के दौरान, अभियोक्त्री (अ.सा.-6) से प्रदर्श पी-1 के माध्यम से पेटीकोट जब्त किया गया। अपीलार्थी से उसका हाफ-पेंट प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जब्त किया गया। सीलबंद पैकेट की वस्तुएं आरक्षक 867 शिवनाथ राम से प्रदर्श पी-3 के माध्यम से जब्त की गईं। प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रसाद ने घटना-स्थल का मानचित्र (प्रदर्श पी-9) तैयार किया और अपीलार्थी को गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श पी-12) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर के न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामला सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को सुपुर्द कर दिया। वहाँ से मामला अंतरण पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने प्रकरण का संचालन किया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश ठाकुर ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) विलंब से दर्ज की गई थी। इसके उचित स्पष्टीकरण के अभाव में अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री का साक्ष्य अंतर्विरोधों से पूर्ण है और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थित नहीं है। अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। उसे उसके चाचा ज्ञानी साव (अ.सा.-2)

द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया था। अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं आई थी। अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों और अपीलार्थी के बीच पूर्व से शत्रुता थी। अभियोजन ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया है। अतः अभियोक्त्री के एकल कथन पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। अपीलार्थी उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है। विद्वान अधिवक्ता ने **मनोहर लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2011 (1) क्राइम्स 665 (एचपी) और तिहारू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2006 (3) सीजीएलजी 173** के न्यायिक दृष्टांतों पर अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का कथन चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः पुष्ट है। डॉ. श्रीमती एस.पी. जायसवाल (अ.सा.-3) ने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के साथ 2-3 दिनों के भीतर संभोग किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराने में हुए विलंब का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

5. उभय पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 350/1996 के अभिलेखों का अत्यंत सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक अनुशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री (साक्षी क्र. 6) के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य पर आअभिनिर्धारित है।

6. अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने यह साक्ष्य दिया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराई थी। सज्जनराम (अ.सा.-5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 28-07-1995 को पुलिस चौकी लुंड्रा में प्रदर्श पी-8 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0/95 पंजीकृत की गई थी। प्रदर्श पी-8 के आधार पर, उसने दिनांक 29-07-1995 को थाना धौरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत प्रदर्श पी-8अ के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 83/95 पंजीकृत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. घटना की तिथि एवं समय 27-07-1995 को दोपहर लगभग 12:30 बजे का था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) पुलिस चौकी लुंड्रा में दिनांक 28-07-1995 को सायंकाल लगभग 6:30 बजे दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) में विलंब का कारण घर पर किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य की अनुपलब्धता बताया गया है।

8. ज्ञानी साव (अ.सा.-2) ने यह साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री के पिता लकदुन साव की मृत्यु हो चुकी थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने भी यह कथन किया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इससे यह प्रतीत होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री अपनी माता के साथ निवास कर रही थी।

9. **तुलसीदास कानोलकर बनाम गोवा राज्य, (2003) 8 एससीसी 590** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी दी थी :-

"5. हम सर्वप्रथम विलंब के प्रश्न पर विचार करेंगे। असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया है। किसी भी स्थिति में, बलात्कार के आरोपों से जुड़े मामलों में विलंब अपने आप में अभियुक्त के लिए कोई शमनकारी परिस्थिति नहीं होती। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का उपयोग अभियोजन के मामले को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करने के लिए एक रस्मी सूत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। यह केवल न्यायालय को सतर्क करता है कि वह खोज करे और विचार करे कि क्या विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। एक बार स्पष्टीकरण दे दिए जाने के बाद, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन विलंब को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन के पक्ष में अतिशयोक्ति या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनावटीपन की संभावना होती है, तो यह एक सुसंगत कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे आरोप या अभियोजन के प्रकरण की दुर्बलता के तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य दर्शाता है, पीड़िता उस आपदा से पूरी तरह अनभिज्ञ थी जो उस पर आई थी। ऐसी स्थिति में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ मात्र विलंब किसी भी तरह से अभियोजन के वृत्तांत को भंगुर या कमजोर नहीं बनाता है।

10. **सोहन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2010) 1 एससीसी 68** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. जब किसी हिंदू महिला द्वारा बलात्कार जैसे अपराध कारित होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होती है, तो अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लेने से पूर्व कई प्रश्न स्वाभाविक रूप से विचारार्थ सामने आते हैं। ऐसी पीड़िता की दुर्दशा को समझना कठिन है जिस पर इस प्रकार का आपराधिक हमला हुआ हो। प्रत्यक्षतः, अभियोक्त्री भी भारी मानसिक उथल-पुथल से गुजरी होगी और गहन विचार-विमर्श के पश्चात ही उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया होगा। स्पष्ट रूप से, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए थोड़े विलंब का यही कारण प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विलंब के स्पष्टीकरण को पहले ही उचित पाया

जा चुका है। अतः, हमें इस विवाद्यक पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

11. अभियोक्त्री (अ.सा.-6) एवं ज्ञानी साव (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री के पिता जीवित नहीं थे। उसके साथ केवल उसकी माता निवास कर रही थी। बचाव पक्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में अभियोक्त्री या विवेचना अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं पूछा। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब घर पर किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य की अनुपलब्धता के कारण हुआ था। वर्तमान मामले में, परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है और यह विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का कथन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थित नहीं था। अभियोक्त्री एक विवाहित युवती है और उसका पति अपनी ससुराल (अभियोक्त्री की माता के घर) उससे मिलने आया करता था। ऐसी परिस्थिति में, अभियोक्त्री के

गुप्तांगों पर आई चोटें उसके पति के साथ सहवास के कारण होने की संभावना विद्यमान है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है। अभियोक्त्री अथवा अभियोजन के किसी अन्य साक्षी से अभियोक्त्री के विवाह के संबंध में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। अभिसाक्ष्य में, अभियोक्त्री की आयु 12 वर्ष उल्लेखित है और उसमें उसके पिता का नाम अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8), अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेमो (प्रदर्श पी-5अ) और अभियोक्त्री की चिकित्सीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) में अभियोक्त्री के पिता का नाम दर्ज है। यदि अभियोक्त्री विवाहित होती, तो उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराते समय, चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेमो (प्रदर्श पी-5अ) भेजते समय और चिकित्सीय परीक्षण (प्रदर्श पी-5) के दौरान अपने पति का नाम बताया होता और तदनुसार उपरोक्त दस्तावेजों में उसके पति का नाम अभिलिखित किया गया होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ज्ञानी साव (अ.सा.-2) ने यह साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) उसकी भतीजी है। उसने अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण हेतु अपनी सहमति पत्र (प्रदर्श पी-4) प्रदान की थी। पनपतिया (अ.सा.-7) अभियोक्त्री (साक्षी क्र. अ.सा.-6) की भाभी है। ये दोनों साक्षी यह बताने के लिए सक्षम साक्षी हैं कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) विवाहित है या नहीं, किंतु अभियोक्त्री (अ.सा.-6) की वैवाहिक स्थिति

के संबंध में उनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अतः, बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का पति अपनी ससुराल (उसकी माता के घर) उससे मिलने आता था और उसके साथ सहवास करता था, स्थिर रखने योग्य नहीं है।

15. विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी :-

"9. **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एससीसी 550** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि एक महिला, जो यौन हमले की शिकार है, वह उस अपराध की सह-अपराधी नहीं है, बल्कि वह दूसरे व्यक्ति की हवस की पीड़िता है और इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण उसी प्रकार के संदेह के साथ करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक सह-अपराधी के मामले में किया जाता है। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 559, कंडिका 16)"

"16. यौन अपराध की अभियोक्त्री को किसी सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उसका साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महत्वपूर्ण विवरणों में उसकी पुष्टि न हो जाए। वह निर्विवाद रूप से धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी आहत व्यक्ति के साक्ष्य को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के विवेचना में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी कि एक आहत परिवादी या साक्षी के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो स्वयं द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ब) के समान कानून या व्यवहार का ऐसा कोई नियम शामिल नहीं है जो पुष्टि की तलाश करना अनिवार्य बनाता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के कथन पर पूर्ण विश्वास करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्यों की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपुष्टि प्रदान कर सकें, जो कि एक सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कमतर हो सकते हैं। अभियोक्त्री के कथन को संपुष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। परंतु यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूर्ण समझ रखती है, तो न्यायालय उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने का हकदार है, जब तक कि उसे दोषपूर्ण और अविश्वसनीय न दर्शाया जाए। यदि मामले के अभिलेख पर आने वाली परिस्थितियों की समग्रता यह प्रकट करती है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फँसाने का कोई प्रबल उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसका साक्ष्य स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू, (2005) 3 एससीसी 594 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि यह भी दर्शाया गया हो कि लड़की अनैतिक आचरण वाली है या यौन संभोग की अभ्यस्त है, तो भी यह अभियुक्त को बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता। यह

स्थापित किया जाना आवश्यक है कि उस विशिष्ट अवसर के लिए उसकी सहमति थी। अभियोक्त्री के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति ऐसा कारक नहीं हो सकती जो न्यायालय को अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए प्रेरित करे। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री के एकल कथन के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है और यदि न्यायालय अभियोक्त्री के वृत्तांत से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की तलाश कर सकता है, जिससे उसे अभियोक्त्री के कथन के प्रति संपुष्टि प्राप्त हो सके। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया है : (एससीसी पृष्ठ 597, कंडिका 12)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. यह सुस्थापित है कि बलात्कार के अपराध की शिकार होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री अपराध के बाद कोई सह-अपराधी नहीं होती है। कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके कथन पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि महत्वपूर्ण विवरणों में उसकी पुष्टि न हो जाए। उसका स्थान एक आहत साक्षी से भी उच्च पायदान पर है। आहत साक्षी के मामले में, चोट केवल शारीरिक स्वरूप पर होती है,

जबकि अभियोक्त्री के मामले में यह शारीरिक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। तथापि, यदि तथ्यों का निर्धारण करने वाला न्यायालय अभियोक्त्री के वृत्तांत को उसके प्रत्यक्ष स्वरूप पर स्वीकार करना कठिन पाता है, तो वह ऐसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की खोज कर सकता है, जो उसके कथन को संपुष्टि प्रदान कर सकें। ऐसी संपुष्टि, जो सह-अपराधी के संदर्भ में समझी जाने वाली 'पुष्टि' से कमतर हो, पर्याप्त होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाए। अभियोक्त्री के बयान में मामूली अंतर्विरोध या महत्वहीन विसंगतियाँ, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन हमले की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसमें किसी भी प्रकार की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि

पुष्टि चाहने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों। न्यायिक विवेक की संतुष्टि के लिए न्यायालय उसके बयान के प्रति कुछ संपुष्टि की तलाश कर सकता है। अभियोक्त्री का बयान आहत गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि यौन अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी का भले ही उचित स्पष्टीकरण न दिया गया हो, लेकिन यदि वह स्वाभाविक पाई जाती है, तो अभियुक्त को उसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने निम्नानुसार प्रेक्षण किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(एससीसी पृष्ठ 394-96 और 403, कंडिका 8 और 21)

"8. ... न्यायालय ने उस स्थिति की अनदेखी की जिसमें एक गरीब असहाय नाबालिग लड़की ने खुद को तीन हताश युवकों की संगति में पाया था जो उसे धमका रहे थे और उसे शोर मचाने से रोक रहे थे। पुनश्च, यदि जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की या ड्राइवर या कार का पता न लगा पाने में लापरवाह रहा, तो वह अभियोक्त्री की गवाही को खारिज करने का आधार कैसे बन सकता है? जांच एजेंसी पर अभियोक्त्री का

कोई नियंत्रण नहीं था और जांच अधिकारी की लापरवाही अभियोक्त्री के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती। ... साक्ष्य का विवेचना करते समय न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्मसम्मान वाली महिला न्यायालय में केवल अपने सम्मान के खिलाफ ऐसा अपमानजनक बयान देने के लिए सामने नहीं आएगी, जैसा कि उसके साथ बलात्कार होने के मामले में शामिल होता है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, ऐसी कल्पित बातें जिनका अभियोजन पक्ष की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है या अभियोक्त्री के बयान में विसंगतियां भी, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ... ऐसे मामले में उनके बयान पर अवलंब लेने से पहले पुष्टि की मांग करना, नियम के रूप में, 'जख्म पर नमक छिड़कने' के समान है। अभियोक्त्री की गवाही पर न्यायिक भरोसे के लिए 'पुष्टि' एक शर्त के रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है।"

* * *

"21. ... न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली अंतर्विरोधों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति की नहीं हैं, ताकि अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को बाहर न किया जा सके। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास जगाता है, तो उसके बयान की महत्वपूर्ण विवरणों में पुष्टि मांगे बिना उस पर अवलंब लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर पूर्ण भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को संपुष्टि प्रदान कर सके, जो एक सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम हो। अभियोक्त्री की गवाही की विवेचना पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए और प्रकरण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटते समय संवेदनशील होना चाहिए।"

12. **उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा, (2002) 9 एससीसी 86** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बलात्कार मात्र एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को विचलित (पढ़े: नष्ट) कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा तक को अपमानित कर देता है और इसलिए, अभियोक्त्री के साक्ष्य की विवेचना पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, अन्य साक्षियों का परीक्षण न किया जाना भी अभियोजन के मामले में कोई गंभीर दोष नहीं माना जा सकता, विशेषकर वहाँ जहाँ उन साक्षियों ने अपराध कारित होते हुए न देखा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह, (1993) 2 एससीसी 622** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने से पूर्व अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। साक्ष्य को तौला

जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास जगाता है और ऐसी परिस्थितियों का अभाव है जो उसकी सत्यता के प्रतिकूल हों, तो केवल उसके एकल कथन के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इसी तरह के विचार को इस न्यायालय द्वारा **वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 2 एससीसी 9** में **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1952 एससी 54** के पूर्ववर्ती निर्णय पर अवलंब लेते हुए दोहराया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने साक्ष्य दिया कि घटना के दिन, दोपहर लगभग 12 बजे, वह अपनी भैंसों को चराने के लिए ले गई थी और वे भैंसें एक सेमर के पेड़ के नीचे चर रही थीं। अपीलार्थी पीछे से वहां आया, उसे नीचे गिरा दिया, उसका पेटीकोट ऊपर उठाया और अपनी जननेंद्रिय को उसकी योनि में प्रविष्ट कर दिया। इस पर, वह चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसकी दोनों भाभियाँ, पनपतिया (अ.सा.-7) और कलकतिया, जो मूंगफली के खेत में काम कर रही थीं, वहाँ आ गईं। उन्होंने अपीलार्थी को अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के साथ बलात्कार करते हुए देखा। उन्हें देखकर अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। अपीलार्थी द्वारा किए गए यौन

हमले के बाद, वह ठीक से चलने में असमर्थ थी। उसने आगे यह भी बयान दिया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराई थी।

17. प्रतिपरीक्षण में, अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने साक्ष्य दिया कि यह सत्य है कि अपीलार्थी शिवनारायण उसके पास आया था और उसे नीचे गिरा दिया था। वह चिल्लाने लगी थी। उसकी चीख सुनकर उसकी भाभियाँ वहाँ आ गई थीं। उन्हें देखकर अपीलार्थी वहाँ से भाग गया था। उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया कि यह कहना गलत है कि वह झूठा बयान दे रही थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पनपतिया (अ.सा.-7) ने साक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के साथ यौन संभोग करते हुए देखा था। कृष्णनाथ साव (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-6) की लज्जा भंग की थी।

19. डॉ. श्रीमती एस.पी. जायसवाल (अ.सा.-3) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने 29-7-1995 को अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का परीक्षण किया था। उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री के द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं थे। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि उसकी योनिझिल्ली दो स्थानों पर फटी हुई थी और छूने पर रक्त निकल रहा था। उन्होंने राय व्यक्त की कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के साथ 2-3 दिनों के भीतर यौन संभोग किया गया होगा। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, अभियोक्त्री की

योनिझिल्ली फटी हुई थी और रक्त रिस रहा था। बलात्कार के कृत्य को सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त है।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों और अपीलार्थी के बीच शत्रुता के कारण उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। सामान्य अनुक्रम में, यौन हमले की पीड़िता ऐसे अपराध का खुलासा अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी नहीं करना चाहती, जनता या पुलिस के सामने तो और भी कम। भारतीय महिला में ऐसे अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इसमें उसकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। केवल कुछ ही मामलों में, पीड़िता या परिवार के सदस्यों में पुलिस स्टेशन जाकर मामला दर्ज कराने का साहस होता है। वर्तमान प्रकरण में, बचाव पक्ष की ओर से दिया गया यह सुझाव कि पीड़िता ने अपीलार्थी को झूठा फँसाया है, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अभियोक्त्री (अ.सा.- 6) की माता की अपीलार्थी के विरुद्ध किसी मुकदमेबाजी या शत्रुता के कारण, वह अपनी बेटी को अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के मामले में झूठा शामिल करेगी, यह स्वीकार्य नहीं है। यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियोक्त्री और उसकी माता वास्तविक अपराधी को भागने देंगी और बलात्कार के मामले में किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाएंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से लिया गया बचाव बनाए रखने योग्य नहीं है।

21. जहाँ तक आयु के निर्धारण का प्रश्न है, विद्वान प्रकरण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 5 से 7 में अभियोक्त्री (अ.सा.-6) की आयु पर चर्चा की है और यह अभिनिर्धारित किया कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (साक्षी क्र. 6) की आयु 11 वर्ष थी। घटना की तिथि 27-07-1995 है। अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का साक्ष्य 03-03-1997 को अभिलिखित किया गया था। साक्ष्य की तिथि पर, अभियोक्त्री (अ.सा.-6) ने अपनी आयु 12 वर्ष बताई थी। उसका कथन घटना के लगभग 1 वर्ष और 8 माह बाद दर्ज किया गया था। डॉ. श्रीमती एस.पी. जायसवाल (अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं थे और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) में उन्होंने अभियोक्त्री की आयु 11 वर्ष दर्ज की थी। बचाव पक्ष द्वारा डॉक्टर से अभियोक्त्री की आयु के संबंध में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) में भी अभियोक्त्री (अ.सा.-6) की आयु 11 वर्ष उल्लेखित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों को देखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान प्रकरण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अ.सा.-6) की आयु 11 वर्ष थी।

23. वर्तमान मामले का समग्र रूप से परीक्षण करने पर, मैं पाता हूँ कि अभियोक्त्री (अ.सा.-6) का साक्ष्य सुसंगत, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी विधिवत संपुष्ट है। विद्वान प्रकरण न्यायालय ने अभियोक्त्री (अ.सा.-6) के कथन को सही ढंग से स्वीकार किया है और अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(**f**) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि के निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ तब बलात्कार कारित किया जब उसकी आयु 12 वर्ष से कम थी। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(**f**) के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो न्यूनतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दंडनीय है। विद्वान प्रकरण न्यायालय ने अपीलार्थी को न्यूनतम निर्धारित कारावास, अर्थात 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इस मामले में 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा देने के लिए कोई पर्याप्त और विशेष कारण मौजूद नहीं है। अतः, विद्वान प्रकरण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई सजा न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. परिणामतः, मुझे इस अपील में कोई सार नहीं मिलता है, यह खारिज होने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी शेष सजा काटने के लिए, यदि कोई हो, तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....